न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 04/2008
आरसीएमएस नं0 2008/00166
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955

तखुराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. बेगराज बनाम कुशलाराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2005 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 291/1995 बअनवानी बेगराज बनाम तखुराम आदि
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय दिनांकः– 09.06.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर सा0 ख0 नं0 20 की 30 बीघा व 8 बीघा, 11 बिस्वा कुल 38 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवादी की भूमि सं0 2012 से पहले की खातेदारी भूमि थी। प्रतिवादी जो कि वादी का सगा भाई है से वादी ने दिनांक 22.09.1971 को ख. नं. 20 में 29 बीघा, 5 बिस्वा भूमि खरीद की थी तभी से काश्त करता व रकमराज अदा करता आ रहा है। पैमाईस हाल में उक्त भूमि नये ख. नं. 117 की 39 बीघा 11 बिस्वा में परिवर्तित हो गई। पैमाईश हाल में वादी के नाम 585 हिस्सास दर्ज करना चाहिए थी मगर सहवन से 581 हिस्सा दर्ज कर दिया जिससे हकूक वादी का हनन होता है। वादी जमाबंदी को दुरूस्त करवाकर अपने हकूक की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जमाबंदी में हिस्सा कसी भी गलत दर्ज कर रखी है। वादी ने [illegible] में रोही मौजा नगरासरी ख. नं. 117 की 39 बीघा 11 बिस्वा [illegible] प्रतिवादी 206 हिस्सा का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:09 IST
Reason: SelfAttested

काबिज खातेदार काश्तकार घोषित करने जमाबंदी को दुरूस्त कर अमलदरामद करने तथा वादी तथा प्रतिवादी का मुताबिक हक व हिस्सा खाता व लगान तक्सीम करने का आदेश देने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। विचारण न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है

2. अपील में रेस्पोडेण्ट सं0 1 के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. भिजवाये गये उसकी तरफ से कोई उपस्थित नही आया लिहाजा अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि साबिका खसरा नं. 20 जिसका हाल खसरा नं. 117 बना है प्रतिवादी की स्वअर्जित कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी जिसमें प्रतिवादी अपीलांट ने दिनांक 22.09.1971 को 29.05 बीघा भूमि नक्शा व उक्त भूमि के आसे पासे दर्ज करते हुए वादी रेस्पोडेंण्ट नं. 1 जरिय रजिस्टर्ड बैयनामा फरोख्त की थी तथा उन्हीं आसा पासा के बीच उसे कब्जा सम्भालाया गया था जो अब वादी के कब्जा में है तथा वह उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि का प्रतिवादी अपीलांट को कोई एतराज नहीं है। वादी रेस्पोडेण्ट ने इस खरीदशुदा भूमि जिसके आसे पासे बैयनामा में दर्ज है पटवारी हल्का से मिलकर साजिसाना तौर पर प्रतिवादी अपीलाण्ट की अच्छी किस्म की भूमि हड़प करने के लिए खरीदशुदा भूमि की रिपोर्ट प्रतिवादी की भूमि शामिल करते हुए करवाई है जो कि नियम विरूद्ध है। कमीश्नर तहसीलदार नोहर ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल नियम) 1955 का कोई ध्यान नहीं रख तथा उक्त रिपोर्ट कमीशनर नियम 18 से 21 के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दियग या है इस कारण काबिल खारिज हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में 2021 डीएनजे पेज 1084 से 1088, 1995 आरआरडी पेज 475, 872, 1998 आरआरडी पेज 319, 1989 आरआरडी पेज 548, 1978 आरआरडी पेज 664 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:09 IST
Reason: SelfAttested

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।
6. यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाण्ट ने दिनांक 22.09.1971 को 29.05 बीघा भूमि नक्श व उक्त भूमि के आसे पासे करते करते हुए रेस्पोडेण्ट सं0 1 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा फरोख्त की थी। मगर रेस्पोडेण्ट ने अपनी खुरीशुदा भूमि जो बैयनामा में दर्ज है उस भूमि की रिपोर्ट न करवाकर प्रतिवादी की भूमि शामिल करते हुए मौका रिपोर्ट करवाई है। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गयां। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलाण्ट का अपील में अनुतोष पुनः सुनवाई प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने का अनुतोष मांगा है। रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.2005 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.6.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(करार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:09 IST
Reason: SelfAttested